सदन में सक्रियता के साथ सरकार का पक्ष मजबूती से रखें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों से फ्लोर मैनेजमैंट पर व्यापक चर्चा की

जयपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विधायकों के साथ फ्लोर मैनेजमेंट के संबंध में व्यापक चर्चा करते हुए उन्हें सदन के अंदर सक्रियता के साथ सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को शुरू होने जा रहा बजट सत्र महत्वपूर्ण है। इस दौरान राज्य सरकार अपना समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट पेश करेगी। यह जन आंकाक्षाओं का प्रतिबिंब होगा और प्रदेश के विकास को नई गति देगा। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से सदन में उठाएं।

शर्मा ने कहा कि विधायक सदन के अंदर अधिक से अधिक समय तक उपस्थित रहें। विधानसभा के नियम-प्रक्रियाओं का समुचित अध्ययन कर विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखें। मंत्री विपक्ष के सवालों का माकूल और करारा जवाब दें। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विपक्षी विधायक भ्रामक और तथ्यहीन आरोप लगाएंगे, जिनका हमें गंभीरता से तथ्यात्मक जवाब देना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों को प्रदेश के विकास के लिए सदन में भेजा है। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वे आमजन से जुड़े मुद्दों को सकारात्मक भाव से सदन में उठाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पानी जैसी बुनियादी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, राम जलसेतु परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय लिए हैं। बिजली की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आज प्रदेश के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर युवाओं को रोजगार में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

विधायक दल की बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित, भाजपा विधायक उपस्थित थे। इसके साथ ही, विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित, कई विधायक अनुपस्थित भी थे।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा विधायकों से कहा कि सत्र के दौरान विपक्षी विधायक भ्रामक आरोप और तथ्यहीन आरोप लगायेंगे, जिनका हमें गंभीरता से तथ्यात्मक जवाब देना है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद थे।

बजट सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक सम्पन्न

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार संसद में नियम प्रक्रियाओं के तहत हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन एजेंडा साझा नहीं करने का विपक्ष का आरोप निराधार है।

रिजिजू ने संसद के बुधवार से शुरु हो रहे बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार कल से शुरु हो रहे बजट सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा और प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें वे दोनों सदनों को संबोधित करती हैं, जो बुधवार को होना तय है। संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और उसके बाद बजट पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य कई मुद्दे उठा सकते हैं, क्योंकि अभिभाषण में सरकार के समक्ष लेखाजोखा रखा जाता है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के विधायी एजेंडा साझा नहीं करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार अपना एजेंडा साझा करती है।

- बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है।

ईडी ने पीएसीएल ग्रुप की 1986 करोड़ रूपए की संपत्तियाँ अटैच कीं

जयपुर व लुधियाना में अटैच की गई 37 अचल संपत्तियाँ निवेशकों के पैसे से खरीदी गई थीं

जयपुर, 27 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल ग्रुप (पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड) के खिलाफ बडी कार्रवाई करते हुए लुधियाना और जयपुर में स्थित 1986.48 करोड रुपए मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है। यह कार्रवाई पर्ल्स ग्रुप एवं उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े बहुचर्चित फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच के तहत की गई है।

ईडी इस मामले की लंबे समय से जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि खेती की जमीन की बिक्री व डेवलपमेंट की आड़ में देशभर में लाखों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई।

वर्ष 2014 में सीबीआई, नई दिल्ली ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। अब तक निवेशकों का करीब 48 हजार करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है।

ईडी ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पीएसीएल ग्रुप ने नियमों के विपरीत कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और किस्त आधारित योजनाओं के जरिए निवेश के लिए उकसाया गया। उनसे एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी सहित, अन्य गुमराह करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए।

जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश मामलों में निवेशकों को कोई जमीन आवंटित ही नहीं की गई। धोखाधड़ी को छिपाने के लिए कई फ्रंट एंटिटी और रिवर्स सेल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया। आम निवेशकों से जुटाई गई राशि को विभिन्न रिलेटेड व अन-रिलेटेड एंटिटीज के माध्यम से घुमाकर अंततः निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और पीएसीएल से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कराया गया। बाद में इन्हीं पैसों से उनके नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू की पत्नी प्रेम कौर, बेटियां बरिंदर कौर एवं सुखविंदर कौर, दामाद गुरप्रताप सिंह और सहयोगी प्रतीक कुमार के खिलाफ ओपन-एंडेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं।

ईडी के अनुसार, अब तक करीब 7 हजार 589 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां अटैच की जा चुकी है, जिनमें भारत और विदेशों में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। ताजा अटैच की गई 37 अचल संपत्तियां निवेशकों के फंड से अर्जित की गई थीं। मामले में आगे की जांच जारी है।

- ईडी की लंबे समय चली जाँच से सामने आया कि खेती की जमीन की बिक्री व डवलपमेंट की आड़ में देश भर में लाखों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई।

'एसिड अटैक पीड़ितों के मुआवज़े के लिए अपराधियों की संपत्ति नीलाम करने की सोचें'

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि सजा इतनी सख्त होनी चाहिये कि प्रभावी निवारक का काम करे

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एसिड अटैक मामलों को रोकने के लिए कड़े और अधिक निवारक उपाय अपनाने का सुझाव दिया और कहा कि अगर अपराधी पीड़ितों को मुआवजा देने में असमर्थ हों तो उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ एसिड अटैक के मामलों से निपटने के लिए व्यापक निर्देशों की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वह एक प्रभावी निवारक के रूप में काम करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीड़ितों को मुआवज़ा देना ज़रूरी है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए अपराधी की संपत्ति बेचनी पड़े। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ''अगर आरोपी मुआवज़ा नहीं दे सकता, तो उसकी सारी संपत्ति ज़ब्त करके उसे नीलाम करके पीड़ित को भुगतान क्यों नहीं किया जाए?'' पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पारंपरिक सुधारवादी सिद्धांत पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ''कानून के दायरे से बाहर कुछ असाधारण सजा देने सम्बंध कदम उठाने की जरूरत है। जब तक आरोपी के लिए कार्रवाई बहुत दर्दनाक नहीं होगी, तब तक यह काम नहीं करेगा।'' शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक के मामलों का पूरा डेटा रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सरकारों से वर्षवार रिपोर्ट की गई घटनाओं की जानकारी, आरोप पत्रों की स्थिति, निर्णयित मामलों की संख्या और लंबित मामलों की संख्या प्रस्तुत करने को कहा।

सीजेआई ने केन्द्र सरकार से यह भी जांच करने को कहा कि क्या एसिड अटैक से ज़्यादा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी दखल या कानूनी सुधारों की ज़रूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा, ''कुछ कानूनी दखल के बारे में सोचिए... यह दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं है।'' एसिड अटैक मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर बढ़ ती चिंताओं के बीच न्यायालय के निर्देश जारी किए गए।

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''अगर आरोपी मुआवज़ा नहीं दे सकता तो उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे नीलाम करके पीड़ित को भुगतान क्यों नहीं किया जाये?''

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ठंड का असर और बढ़ गया। सुबह से दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके रुक-रुक कर दिन भर होने के आसार हैं।

इससे राजधानी में सर्दी और बढ़ गयी। मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में यह 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बादलों और ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय ठंड का एहसास अधिक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 26 से 28 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र की रणनीति बनाई

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति समिति की मंगलवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति को लेकर व्यापक चर्चा की गई। विशेष रूप से बजट सत्र के पहले चरण में किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा, इस पर विस्तार से मंथन हुआ। चर्चा के दौरान सबसे अहम मुद्दा मनरेगा का रहा, जिसे पार्टी नेताओं ने प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया।

बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को संसद के बजट सत्र में प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में पूरी मजबूती से उठाने का फैसला किया है। इसमें पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें अरावली क्षेत्र और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट प्रमुख रहे। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गयी है।

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ,स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को संसद में उठाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, विदेश नीति और आयात शुल्क को लेकर अमेरिका के दबाव जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बनायी गयी है।

- संसदीय रणनीति समिति की बैठक में सोनिया गांधी, खड़गे व राहुल गांधी ने भी भाग लिया।

बेलगाम ताकत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकी इतिहास में इसके उदाहरण मौजूद हैं। पुलिस व्यवस्था में बदलाव तभी आए, जब जानलेवा ताकत को कड़ी कानूनी, और नागरिक निगरानी एवं जाँच के दायरे में लाया गया।

स्वतंत्र जाँच, स्पष्ट कमांड चेन, लागू करने योग्य नियम और नियम तोड़ने पर वास्तविक सज़ा, ये कानून-व्यवस्था के खिलाफ़ कदम नहीं हैं, बल्कि वही शर्तें हैं, जिनसे कानून लागू करने वाली संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकती हैं। उतनी ही अहम है राज्यों और शहरों की भूमिका, जो फेडरल सत्ता और आम लोगों के बीच एक बफर का काम करती है। जो प्रशासनिक क्षेत्र सहयोग पर सीमाएं लगाते हैं, पारदर्शिता पर जोर देते हैं और स्पष्ट परिचालन प्रोटोकॉल अनिवार्य करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंसक टकराव को कम किया है। ये स्थानीय सुरक्षा उपाय इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वे काग़ज़ी अधिकारों को ज़मीनी सुरक्षा में बदलते हैं। आज जो अमेरिकी इन घटनाओं को देख रहे हैं, उनके लिए यह अब कोई वैचारिक बहस नहीं रही, यह इस सवाल से जुड़ गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी अचानक और अपूरणीय बल प्रयोग के डर के बिना चल सकती है या नहीं।

इसके साथ ही, एक राजनीतिक आत्ममंथन भी शुरू हो चुका है। इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स एन्फोर्समैंट (आई.सी.ई.) जैसी एजेंसियां क़ानून से बनी हैं, किसी ईश्वरीय अधिकार से नहीं। उनकी शक्तियां राजनीतिक फैसलों का नतीजा हैं, और इन फैसलों पर दोबारा विचार किया जा सकता है। अलग-अलग विचारधाराओं में बढ़ती बेचैनी, नागरिक स्वतंत्रता के समर्थकों, स्वास्थ्यकर्मियों, कानूनी विशेषज्ञों और यहां तक कि कुछ रूढ़िवादी न्यायविदों के बीच, यह दिखाती है कि सवाल अब यह नहीं रहा कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह बन गया है कि एक लोकतंत्र, बिना नियंत्रण वाली, कितनी ताकत सहन कर सकता है।

आख़िरकार, एक नर्स की हत्या ने पूरी बहस की दिशा बदल दी है। इसने साफ़ कर दिया है कि डर केवल बिना दस्तावेज़ वालों या हाशिये पर खड़े लोगों तक सीमित नहीं रहता, जब संयम खत्म होता है, तो डर चारों तरफ फैलता है।

जो राज्य अपने ही नागरिकों के साथ अनुपात और जवाबदेही की गारंटी नहीं दे सकता, वह बिना काग़ज़ वालों को न्याय देने का भरोसा भी विश्वसनीय तरीके से नहीं दिला सकता। नागरिकों और ग़ैर-नागरिकों, दोनों के लिए आगे का रास्ता इस बात पर ज़ोर देने में है कि ताकत पर क़ानून का शासन हो, सुविधा का नहीं, और यह कि नागरिकता का मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से सुरक्षा हो, संयोग से बच जाना नहीं।

विपक्ष के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस पर चुप है, लेकिन यूथ कांग्रेस ने इन बदलावों का समर्थन किया है।

दिलचस्प बात यह है कि भले ही भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जिसे ऊँची जातियों का समर्थन प्राप्त है, उसी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्षी दलों से ओबीसी वोट बैंक छीनकर अपना समर्थन आधार मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाला कानून केवल सलाह देने वाला था, लेकिन संशोधित कानून अब अनिवार्य कर दिया गया है और इसे लागू करना ज़रूरी होगा। देश भर में इस फैसले को लेकर विरोध और नाराज़गी देखने को मिल रही है। आम धारणा बन रही है कि ऊंची जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हालांकि, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इससे इनकार किया है।

आरक्षण रहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फंडिंग समाप्त होने जैसी कड़ी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है।

आलोचकों का तर्क है कि नए नियमों में भेदभाव के आरोप झेलने वालों के लिए सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इससे सामान्य वर्ग के छात्रों व शिक्षकों के खिलाफ पहले से ही दोष सिद्ध मान लेने की धारणा बन सकती है। नियमों को वापस लेने या उनकी समीक्षा की मांग को लेकर कई संस्थानों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं।

सरकार ने इन नियमों को आवश्यक सुरक्षा उपाय बताया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नियम अस्पष्ट, एकतरफा और दुरुपयोग के लिए खुले हुए हैं। जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए, यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इन नियमों की समीक्षा की जाएगी या उन्हें रोका जाएगा। यह विवाद अब परिसरों से बाहर निकलकर राज्यों में अशांति का कारण बन रहा है और इस सवाल को भी जन्म दे रहा है कि उच्च शिक्षा की दिशा और स्वरूप क्या होना चाहिए। इसके बावजूद, सरकार की ओर से न तो परामर्श प्रक्रिया और न ही संभावित संशोधनों के लिए कोई आधिकारिक समयसीमा बताई गई है। इस बीच, इस्तीफे और विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केन्द्र सरकार से यूजीसी नियमों को उनके मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन इनमें से सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही पास घोषित किया गया। आयोग के परीक्षा परिणाम के अनुसार, अधिकांश अभ्यर्थी तय न्यूनतम अंक भी हासिल नहीं कर पाए। जबकि इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिन्होंने पूर्व में सिविल जज की लिखित परीक्षा पास की थी।

आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के आधार पर अंक मिले हैं। एक अभ्यर्थी का अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में प्रदर्शन अलग-अलग रहता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व में परीक्षा में अधिक अंक लाने पर इस परीक्षा में भी अभ्यर्थी अधिक अंक ही लाएगा। इसके अलावा, नियमानुसार हर प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने थे। भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सफल अभ्यर्थियों के साथ-साथ, दस असफल अभ्यर्थियों की कॉपी मंगाकर देखी थी। इसके अलावा, आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक भी सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए थे। अब अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीचे आये और अभियुक्त को दुष्कर्म करते पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका डेढ़ साल से पीछा कर रहा था। घटना की रात वह उसे जबरन कमरे में ले गया था और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान उसने अभियुक्त की पकड ढीली पड़ने पर उसने शोर मचाया तो उसके परिजन मौके पर आ गए और अभियुक्त को अपराध करते हुए पकड़ लिया।

भारत ईयू ट्रेड डील से लग्ज़री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुरक्षा के लिए उठाया गया है, जो तेजी से विकास कर रहा है।

भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने एक ऐतिहासिक, मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमैंट की घोषणा की है, जिसमें 10 प्रमुख उपलब्धियाँ शामिल हैं: यह एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। दोनों पक्षों ने एक रक्षा ढाँचा समझौता और एक रणनीतिक एजेंडा भी प्रस्तुत किया। यह नई साझेदारी उस समय पर आई है, जब यूरोप अमेरिका व चीन पर और चीनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है और अन्य क्षेत्रों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रस्तावित सिक्योरिटी एंड डिफैंस पार्टनरशिप (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करेगी। एसडीपी से रक्षा क्षेत्र में अंतरसंचालनीयता बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों को ईयू के एसएएफई (सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप) कार्यक्रम में भागीदारी के अवसर मिलेंगे। एसएएफई यूरोपीय यूनियन का 150 बिलियन यूरो का वित्तीय उपकरण है, जिसे सदस्य देशों को रक्षा तत्परता में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए के लिए 2007 में वार्ता शुरू की थी, जिसे 2013 में महत्वाकांक्षा के अंतर के कारण निलंबित कर दिया गया था। फिर जून 2022 में इन वार्ताओं को फिर से शुरू किया गया था।

- इस डील के बाद 16 लाख रूपए की गाड़ी, जिस पर 100 प्रतिशत ड्यूटी लगती थी, वो घटकर 40 प्रतिशत रह जाएगी और आगे चलकर उसे 10 प्रतिशत भी किया जा सकता है।
- शुल्क में कटौती ''कोटा'' आधारित होगी ताकि भारतीय ऑटो उद्योग भी सुरक्षित रहें और फले-फूलें।
- इस डील से सिक्युरिटी एवं डिफैंस पार्टनरशिप को भी मजबूती मिलेगी जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। इससे भारतीय कंपनियां यूरोपियन यूनियन के सिक्युरिटी एक्शन फॉर यूरोप (एसएएफई) कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगी।
- ईयू और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट के लिए वार्ता 2007 में शुरु हुई थी, पर, फिर 2013 में वार्ता निलम्बित कर दी गई और 2022 में वार्ता पुनः शुरु हुई, अन्ततोगत्वा डील फाइनल हो गई।

'सेवानिवृत न्यायाधीशों को उचित मानदेय और यात्रा सुविधा क्यों नहीं दी'

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को फटकारा और जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समुचित मानदेय और यात्रा भत्ता उपलब्ध न कराए जाने पर सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि के मौखिक उल्लेख के बाद उठाया। गिरि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के सदस्य हैं। गिरि ने पीठ को बताया कि उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समितियों के सदस्यों को दिया जाने वाला मानदेय उनकी गरिमा और पद के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि इनमें कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब यह विषय बीसीआई के समक्ष रखा गया, तो परिषद ने जवाब दिया कि ऐसा भुगतान ''बहुत अधिक'' होगा और व्यवहारिक नहीं है।

गिरि ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए आग्रह किया कि या तो इस संबंध में उचित निर्देश दिए जाएं, या फिर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए। उन्होंने इस संदर्भ में बीसीआई द्वारा न्यायमूर्ति धूलिया को भेजे गए जवाब को भी पीठ के समक्ष रखा।

इसके अलावा, अधिवक्ता गिरि ने यह भी बताया कि बीसीआई ने राजस्थान बार काउंसिल चुनावों के लिए एक अलग समिति गठित कर दी है, यह कहते हुए कि उच्चतम न्यायालय के 18 नवंबर 2024 के आदेश में राजस्थान का उल्लेख नहीं था। उन्होंने दलील दी कि यह कदम अदालत के निर्देशों की भावना और मंशा दोनों के विपरीत है और बताया कि उक्त समिति पहले ही चुनावों की अधिसूचना जारी कर चुकी है। पीठ ने बीसीआई के इस रुख पर सवाल उठाते हुए उसके वकील से पूछा कि राजस्थान को आदेश से बाहर क्यों रखा गया और अदालत को सूचित किए बिना अलग समिति क्यों बनाई गई। उच्चतम न्यायालय ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वह अगले दिन तक इस पर स्पष्टीकरण दे।

- उच्चतम न्यायालय द्वारा बार काउन्सिल के चुनावों की निगरानी के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी ने यह मुद्दा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष उठाया।
- गिरी ने बताया कि बीसीआई ने राजस्थान बार काउन्सिल चुनावों के लिए अलग समिति गठित कर दी और तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में 18 नवम्बर 2024 के आदेश में राजस्थान का उल्लेख नहीं था।
- बीसीआई ने जवाब में कहा कि जजों को उनकी प्रतिष्ठा के अनुरुप मानदेय देन बहुत खर्चीला होगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908